अनु. 124 → भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा

→ सर्वोच्च न्यायालय का गठन

→ स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय मे 8 जज थे

1+7

→ वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय मे 1+33 = 34 जज है।

* सर्वोच्च न्यायालय में जजो की वृद्धि संसद द्वारा विधि बनाकर कि जायेगी

अनु - 124(2) → सर्वोच्च न्यायलय के जजो की नियुक्ति

→ राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायलय की जजो की नियुक्ति कि जाती है।

→ राष्ट्रपति अन्य जजो की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश की परामर्श पर करेगा।

जज की नियुक्ति ⇒ **कॉलेजियम प्रणाली** → कानून मंत्री → प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति ⇓ नियुक्ति

त्यागपत्र → राष्ट्रपति

अनु 124(3) → सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता

1. भारत का नागरिक हो
2. किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक जज रहा हो।

या

3. किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकालत कि हो।

या

4. राष्ट्रपति की नजर मे विधि का अच्छा ज्ञाता है।

अनु. 124(4) → सर्वोच्च न्यायालय के जजो को हटाना

कारण → कदाचार या अक्षमता के आधार पर

अनु. 124(5) → सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया।

→ हटाने का प्रस्ताव यदि लोकसभा में 100 सदस्य तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है।

→ स्पीकर इस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

→ आरोपो की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है।

→ आरोप सिद्ध होने पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा।

→ फिर राष्ट्रपति हटाने का आदेश देगा।

* भारत में अब-तक किसी भी जज को नहीं हटाया गया है।

अनु. 124(6) सर्वोच्च न्यायलय के जजों को शपथ

↳ सर्वोच्च न्यायलय के जजों को शपथ राष्ट्रपति दिलायेंगे।

* सर्वोच्च न्यायलय के जज सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नही करेंगे।
* सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे।

*** अनु. 125** → सर्वोच्च न्यायलय के जजो के वेतन. भत्ते

मुख्य जज → 2.80 लाख / प्रतिमाह

अन्य जज → 2.50 लाख / प्रतिमाह

अनु. 126 → कार्यकारी मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति

→ कार्यकारी मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।

अनु. 127 → तदर्थ न्यायधीश

नियुक्ति – **मुख्य न्यायधीश**
- → राष्ट्रपति से परामर्श
- → संबंधित HC के मुख्य न्यायधीश से परामर्श

अनु 128 → सर्वोच्च न्यायलय की बैठको मे सेवानिवृत्त जजो की उपस्थिति